



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022023-243518

CG-DL-E-08022023-243518

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 7, 2023/माघ 18, 1944

No. 587]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 2023/MAGHA 18, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2023

सं. 56/2015-2020

विषय: विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 4.42 में जेमोलोजिकल साइंस इंटरनेशनल (जीएसआई) प्रा. लि. मुम्बई, महाराष्ट्र, इंडिया को शामिल करना।

का.आ. 616(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 4.42 में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित करती है:

विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 4.42 में निम्नलिखित प्रविष्टि को क्रम संख्या (6) पर शामिल किया गया है:

“(6) जेमोलोजिकल साइंस इंटरनेशनल (जीएसआई) प्रा. लि. मुम्बई, महाराष्ट्र, इंडिया”

इस अधिसूचना का प्रभाव:

जेमोलोजिकल साइंस इंटरनेशनल (जीएसआई) प्रा. लि. मुम्बई, महाराष्ट्र, इंडिया को हीरों का आयात करने हेतु प्रमाणपत्र/ग्रेडिंग जारी करने एवं पुनः निर्यात अनुमत करने हेतु एजेंसी के रूप में शामिल किया गया है।

[फा. सं. 01/94/180/087/एम 21/पीसी-4]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February 2023

No. 56/2015-2020**Subject: Addition of Gemological Science International (GSI) Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra, India in Para 4.42 of Foreign Trade Policy (2015-20)**

S.O. 616(E) .—In exercise of powers conferred by Section 5 of Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, read with Paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies the following amendment in paragraph 4.42 of Foreign Trade Policy, 2015-20:

The following entry is inserted at serial no. (6) in para 4.42 of Foreign Trade Policy, 2015-20:

“(6) Gemological Science International (GSI) Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra, India.”

Effect of this Notification:

Gemological Science International (GSI) Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra, India is added as an agency permitted to import diamonds for certification / grading & re-export.

[F. No. 01/94/180/087/AM21/PC-4]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Secy.